

APPNENDIX - XI

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. SA/CER/SEP-2022/CE-09

Dated : 23.09.2022

Certified that the existing building DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) Affiliation No. – 3330353, School Code - 15767 at SECTOR-2, BHILAI, DISTT. -DURG (Chhattisgarh) 490001 comprised of Ground, First and Second Floor (upper floors) occupied by DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL, SECTOR-2, BHILAI, Chhattisgarh (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of on 15.09.2022 in the presence of Mrs. Priyanka Shukla, DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL (name and address of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from 23.09.2022 for a period of 05 years in accordance with rules.

Issued on 23.09.2022 at Bhilai by Er. Dinesh Kumar Samarth (Engineer)

* Strike out whichever is not applicable.

Dinesh Samarth B.E. (Civil), F.I.V., I.E.L.

aument

F -12517, M -1690013 133/SE - BHILAI Name : Dinesh Kumar Samarth

Designation : Structure Engineer

Name & Address of Department/ Office: Nehru Nagar (East), Bhilai

(Registered Structure Engineer - Municipal Corporation Bhilai)

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

<u>Note</u>: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only.

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated/notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

OFFICE ADDRESS : "PRATHMA" FIRST FLOOR, 9/6-B, NEHRU NAGAR (EAST) INFRONT OF SARASWATI SCHOOL,BHILAI, DISTT. - DURG (C.G.) PIN - 490020 CONTACT NO. - (0788) 356 0625, 98261 36321, E-mail : samarth.dinesh@gmail.com



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जिला - दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अधीन अनुज़प्ति

दिनांक 25/4/2023

क्रमांक 150

-..: संरचना इंजीनियर :::-

अनुज्ञप्ति क्रमांक - 133 (SE)

वर्ष 2023-24

यह अनुज्ञप्ति <u>भी दिलेश कुमार ज्यम्२ ८० स्वर् साला राम सम्भ हुड़लो भि</u>लाई को संरचना इंजीनियर की अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर्त्तव्य का पालन करने के लिए जैसा कि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में दिया गया है, स्वीकृत की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक <u>31/3/2024</u> को समाप्त होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रूपये 1500=00 रसीद बुक क्रमांक <u>8675/02</u> दिनांक <u>3/4/2023</u> को अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया है। —::: शर्ति :::—

अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।

- अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहगोचर स्थान पर अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर निगम भिलाई के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिकारिता रखने वाला प्राधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
- अनुझप्तिधारी अनुझप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व उसका नवीनीकरण करायेंगे।
- अनुज्ञप्तिधारी छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के उपबंध का पालन करेंगे और इस अनुज्ञप्ति के निर्बन्धन के अंतर्गत कार्य करेंगे।
- 5. अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षक कार्य संबंधी सभी अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
- 6. अनुज्ञप्तिघारी द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति कमांक लिखेगा और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- 7. यह अनुझप्ति छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखित शर्तो के अधीन होगी और इन शर्तो में किसी शर्त का मंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुझप्तिधारी के विरूद्ध की जाने वाले अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रमाव डाले बिना यह अनुझप्ति रद्द हो जावेगी।

8.

अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे दिये अनुसार सीमित होगी :--

संरचना इंजीनियर :-- अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर भवन निर्माण आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये समक्ष होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये हकदार होंगे --

- (क) आकार तथा ऊंचाई पर ध्यान दिये बिना ऐसे सभी मवनों के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक की जानकारी।
- (ख) समस्त भवनों के लिये संरचना ब्यौरे एवं संगणनाये।
- (ग) समस्त भवनों के लिये पर्यवेक्षक एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
- (घ) एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित समी रेखांक तथा संबंधित जानकारी।
- (ड.) एक डेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र।

भवन निर्माण अधिकारी भवनर सिसिक समिकारी नगर सालिक लिगम भिलाई Scanned with CamScanner